18/3/2021

प्रार्थना पत्र (वकील वादी) अनुपस्थित
वकील वादी / वकीलवादी / वादी के बार बार
किए जाने पर न्यायालय समय से न्यायालय
समय समाप्ति तक अपने व्यवहार नहीं
व्यवहृत वकील वादी / वादी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुआ है अतः वाद वादी अथवा
प्रतिवादी अग्रिम पेशी के पारित किया जाता है
प्रार्थना पत्र अपने वकील को नियमानुसार
शीघ्र प्रेषित करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.01 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner